

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0022

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

07/07/2025 16:56 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):

Date from (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):

07/07/2025

Time (समय): 16:56

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012

Date and Time

(दिनांक और समय):

07/07/2025 16:56

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 90 Km Beat No. (बीट सं.):

(s)

(b) Address (पता): हैवी ड्राइविंग स्कूल, कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अंकुश कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): नरेश कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2002

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	बाता की बडिआल पत्ती, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	बाता की बडिआल पत्ती, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812784819

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	हाक्म सिंह			1. हैवी ड्राइविंग स्कूल, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	जोरा सिंह			1. हैवी ड्राइविंग स्कूल, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है-
सेवा में,

श्रीमान निरीक्षक
विजीलेंस कैथल

श्रीमान जी,

निवेदन है, कि मैं अकुंश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार गांव बाता की बडियाल पत्नी का रहने वाला हूँ, और खेती-बाड़ी का काम करता हूँ, और अब मैं ड्राइविंग का हैवी लाईसेंस बनवाने के लिये हरियाणा रोडवेज हैवी व्हीकल ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कैथल में ड्राइवर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मेरी ऑन लाईन एप्लीकेशन नम्बर DTS00643817B02085KTL दिनांक 19.06.2025 है, जिस बारे में मैंने दिनांक 19.06.2025 को 540/- की एक रसीद ऑफ लाईन कटवाई थी, तथा दूसरी रसीद 3000/- रु. की कटवाई थी, जो आन लाईन कटी थी, जिसका जी.आर.एन. नम्बर 135590297 भी दिनांक 19.06.2025 को ही कटवाई थी। मैंने हरियाणा राज्य परिवहन कैथल की आवश्यकता अनुसार सभी कागजात शिक्षा के प्रमाण पत्र, व मेरी सभी आई.डी. भी फार्म के साथ दे दी थी, तथा अपना मेडिकल करवाकर मेडिकल रिपोर्ट भी हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल कैथल में जमा करवा दी थी। इसके बाद दिनांक 24.06.2025 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। मेरे को ट्रेनिंग देने के लिये हाकम सिंह व जोरा सिंह दोनों रोडवेज कर्मचारियों की डियुटी लगी हुई थी, जो मेरे ईलावा ओर भी काफी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कई बसों में अलग-अलग बच्चों को ट्रेनिंग के लिये ले जाते हैं, दोनों ड्राइवर जोरा सिंह व हाकम सिंह इक्कठे रहते हैं, जो दोनों ने मेरे को काफी तंग कर रखा है, तथा मेरे से पैसों की मांग करते हैं, जोरा सिंह व हाकम सिंह ने मेरे को कई बार कहा है कि आपकी ट्रेनिंग ठीक हो जाएगी। जिस पर मैंने दिनांक 02.07.2025 को मेरे मोबाईल फोन न. 98127-84819 से हाकम सिंह ड्राइवर के मोबाईल फोन न. 83076-50146 से बातचीत की जिसमें हाकम सिंह ने मेरे को कहा कि आप 3000/- दे दो तो तुम हाजरी लगा कर चले जाया करो, अपने आप ट्रेनिंग हो जायेगी। इसके बाद मैंने आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे मोबाईल फोन से जोरा सिंह के मोबाईल फोन नम्बर 81683-07043 से बातचीत की जिसने कहा कि वह ट्रेनिंग के लिये 15 दिन के लिये मुरथल गया हुआ है, और जोरा सिंह ड्राइवर ने मेरे को कहा कि वह तो मुरथल है, हाकम सिंह को 3000 रुपये दे आओ, और मेरी बात करवा देना उससे, मैंने कहा कि 2000 दे दुं जिसने 2000 रुपये लेने से मना कर दिया और 3000 रुपये देने की बात कही और 3000 रुपये रिश्त देने के बाद मेरे को तंग ना करने व हाजरी लगाने की बात कही और मेरे को बताया कि लाईसेंस बन जायेगा कोई दिक्कत नहीं आयेगी। यह भी कहा कि पैसे देकर मेरी बात हाकम सिंह से करवा देना। मैं रिश्त के यह 3000/- देना नहीं चाहता और हाकम सिंह व जोरा सिंह को रिश्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, हाकम सिंह ड्राइवर आज मेरे से 3000/- रिश्त के लेगा परन्तु जोरा सिंह मुरथल किसी ट्रेनिंग के लिये गया हुआ है, जिससे बात हुई है। मैंने उपरोक्त बातचीत की रिश्त मांगने बारे की रिकार्डिंग मेरे मोबाईल फोन में कर रखी है, जो मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। मेरी दरखास्त पर कार्यवाही करते हुए जोरा सिंह व हाकम सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य के बदले रिश्त लेने की कार्यवाही की जाये।

-sd- Ankush Kumar

भवदीय,

अकुंश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार

वासी बडियाल पत्नी बाता

मोबाईल नम्बर 98127-84819

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 07.07.2025 को मन निरीक्षक मय स्टाफ हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल हूँ कि अकुंश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार वासी बडियाल पत्नी गांव बाता तहसील कलायत व जिला कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मेरी हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500/500 रूपए के 6 अदद करेन्सी नोट मुबलिक 3,000/- रूपए मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता अकुंश कुमार उक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री निशान्त बातान कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग डिवीजन पुण्डरी जिला कैथल से उनके मोबाईल नम्बर 94679-02985 पर सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबूत से हाकम सिंह ड्राइवर व जोरा सिंह ड्राइवर हरियाणा रोडवेज कैथल के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC Act 1988 का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87, स.उ.नि. सेवती राम न. 308/KTL व सिपाही मनीष न. 433/पंचकूला बा सवारी गाडी प्राईवेट जिसका चालक

मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 व अलग से गाडी प्राइवेट तथा तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त महिला मु.सि. सुदेश न. 258/ KTL के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय केस फाईल अनुसंधान कार्य हेतु आपके पास अभियोग अकित करवाने आई हुई महिला प्र0सि0 सुदेश न0 258/कैथल के हाथ मौका पर भिजवाई जाए।

-sd- Mohinder Singh

निरीक्षक मोहिन्द्र सिंह

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 07.07.2025

पेट 3.10 पी.एम.

अज थाना- टाईपशुदा लेख उपरोक्त, बाजूम उपरोक्त बर दरखास्त अवुंश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार वासी बडियाल पत्नी बाता बर खिलाफ हाकम सिंह ड्राईवर व जोरा सिंह ड्राईवर हरियाणा रोडवेज कैथल, बादस्त मु.सि. सुदेश न0 258/कैथल भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 22 दिनांक 07.07.2025. धारा 7 PC ACT 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त आने वाले मु.सि. सुदेश न0 258/कैथल भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल के द्वारा सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक पवन कुमार भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया जा रहा है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mahender Rank (पद): I (Inspector) Singh
No. (सं.): 322H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

